

**बिहार सरकार
सहकारिता विभाग**

॥ संकल्प ॥

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अमित कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज के विरुद्ध बिना किसी पूर्वानुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक-681 दिनांक-18.03.2026 द्वारा गोपालगंज जिलान्तर्गत कुल 12 समितियों में निर्धारित निर्वाचन अवधि में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहकर निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की चेष्टा करने, वित्तीय वर्ष 2025-26 के मार्च माह में आवंटनों का मदवार समुचित उपयोग नहीं होने के कारण राशि का प्रत्यर्पण किया जाना, दिनांक-20.01.2026 को मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के दौरान गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड अंतर्गत सौनवर्षा पैक्स एवं बैकुण्ठपुर प्रखंड अंतर्गत दिघवा उत्तर पैक्स में सचिव, सहकारिता विभाग द्वारा किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के निदेश के बावजूद समर्पित नहीं करने के संबंध में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं अन्य आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3252 दिनांक-18.06.2026 द्वारा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से आरोप पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। तदनुसार विभागीय पत्रांक-4388 दिनांक-05.08.2026 द्वारा स्मारित किया गया परन्तु श्री कुमार द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित नहीं किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप एवं उनसे पूछे गये बचाव का लिखित अभिकथन अप्राप्त रहने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(5)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में श्री विकास कुमार बरियार, अपर निबंधक (न्यायिक), स0स0, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री शंभूसेन कुमार, संयुक्त निबंधक (योजना), स0स0, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं आरोप-पत्र की एक-एक प्रति (साक्ष्य सहित) श्री विकास कुमार बरियार, अपर निबंधक (न्यायिक), स0स0, बिहार, पटना संचालन पदाधिकारी / श्री शंभूसेन कुमार, संयुक्त निबंधक (योजना), स0स0, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक : / पटना, दिनांक :

8/नि.को.(रा.)विभागीय-772/2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री विकास कुमार बरियार, अपर निबंधक (न्यायिक), स0स0, बिहार, पटना संचालन पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

ह०/-
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक : / पटना, दिनांक :

8/नि.को.(रा.)विभागीय-772/2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के श्री शंभूसेन कुमार, संयुक्त निबंधक (योजना), स0स0, बिहार, पटना -सह- प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-यथोक्त।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक : / पटना, दिनांक :

8/नि.को.(रा.)विभागीय-772/2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री अमित कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोपालगंज सम्प्रति मुख्यालय सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक : / पटना, दिनांक :

8/नि.को.(रा.)विभागीय-772/2026

प्रतिलिपि :- निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रशाखा-1), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

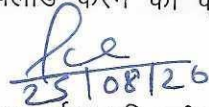
ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 4841 / पटना, दिनांक : 25/08/26

8/नि.को.(रा.)विभागीय-772/2026

प्रतिलिपि :- लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।


25/08/26
विशेष कार्य पदाधिकारी।